उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-151/2017/1420/92-2-2017-03जॉच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 11 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत जनपद अलीगढ के पर्यटन स्थल अचलताल में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अभिलेखों के अनुसार निरीक्षण न करने, निर्माण कार्य की कमियो को दूर कर संबंधित विभाग को हैण्डओवर हेतु प्रयास करने के लिए अधिशासी अभियंता को निर्देश न देने, अपने पदीय दायित्वों के प्रति सजग न रहने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री आर0एस0 गंगवार, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ सम्प्रति मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, शासन को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-151/2017/1420(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र संख्या-जी-16/एस0टी0-सी0टी0ई0/2671-144/21/2014-15 दिनांक 02.06.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या की प्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री आर0एस0 गंगवार, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल - अलीगढ के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जॉच अधिकारी/ विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, शासन ।
3- श्री आर0एस0 गंगवार, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in